



क्रमांक/स्था./2020/ 368

जबलपुर, दिनांक: 08/06/2020

संशोधित अधिसूचना

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/स्था./2020/368, दिनांक 6.6.2020 में कार्यालय प्रारंभ किये जाने संबंधी उल्लेखित मापदण्डों के साथ-साथ निम्नांकित मापदण्डों को भी शामिल किया जाता है जिनका पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है-

1. कार्यालय एवं विभागों में किसी अधिकारी, शिक्षक या स्टाफ के कक्ष में एक समय में दो से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थिति में सम्पर्क, प्रवेश या भेट नहीं कर सकेंगे।
2. कैंटीन/मेट क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या शिक्षक विश्वविद्यालय सेवा पर उपस्थित नहीं होगा।
3. विभागों या प्रशासनिक भवन में प्रथम बार प्रवेश करने वाले स्टाफ को प्रवेश के पूर्व निर्धारित प्रारूप पर यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि उन्हें कोरोना वायरस जैसे कोई लक्षण नहीं है।
4. प्रशासनिक भवन में सिर्फ एक ही गेट से प्रवेश होगा, जहां पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेम्प्रेचर परीक्षण कराना आवश्यक होगा।
5. प्रशासनिक भवन व विभागों में पान-तम्बाकू एवं सिगरेट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा शूकना भी वर्जित होगा।
6. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले, मास्क न पहनने वाले, पान, तम्बाकू एवं सिगरेट का सेवन करने वाले, शूकने वाले या कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु केन्द्र शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/स्टाफ के विरुद्ध सख्त अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायेगी तथा केन्द्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही हेतु जिला पुलिस प्रशासन को शिकायत की जायेगी।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 08/06/2020

पृष्ठ/स्था./2020/ 368

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, महानिदेशक कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, समस्त शैक्षणिक/प्रशासकीय विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर समाग, जबलपुर।
9. समन्वयक, आई क्यू ए सी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
10. सहायक सचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
11. सकार्ड/सुरक्षा प्रभारी को इस आशय के साथ कि वे सेनेटाईज की व्यवस्था आवश्यकतानुसार किये जाने हेतु अपने अधिनस्थ को आदेशित करें।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र की ओर इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को तत्काल वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
13. कुलाधिपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (स्थापना)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर